

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 214/2022 शांफ

1. व्याख्यान 56 दाल्हाणम कलाज सि० भागा - 55-328-300

प्रार्थी.....

बनाम

1. पारस मलय 86 टल्लीमल कमरीया सि० भागा - 55-328-300

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 16/8/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थागा पटवार हल्का थागा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 36

आराजी नम्बर	2908	2910	3414	3417	3448	3450	3451	3457	3458	3459	3461	3462
	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253
	3463	3464	3465	3467	3468	3469	3470	3472	3473	3475	4254/3466	418/346
	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253
	4252/2030											
	0.0253											

कुलकिता 25

रकबा 7.8786 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16/8/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम थागा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 36 आराजी नम्बर 36

आराजी नम्बर	2910	3414	3448	3450	3451	3457	3458	3459	3461	3462	3463
	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253
	3464	3465	3467	3468	3469	3470	3472	3473	3475	4254/3466	418/346
	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253	0.0253/0.0253
	4252/2030										
	0.0253										

कुलकिता 25

रकबा 7.8786 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक हातासद को 2000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा